न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/06/2024	2024/12	05.03.2024	15.07.2025

1. मदनलाल पुत्र बलदेव,
2. श्यामसुन्दर पुत्र बलदेव,
3. धर्मवीर पुत्र बलदेव,
4. जगमोहन पुत्र बलदेव,
5. सीमा पुत्री बलदेव,
6. सन्तोष पुत्री बलदेवराज
   जातियान ब्राह्मण निवासीयान कृष्णलाल पंडित मोहल्ला मालपुर तहसील गोविंदगढ जिला अलवर राज0।
7. निर्मला पुत्री बोधराज पत्नी स्व0 जगदीश लाला जाति ब्राह्मण निवासी मकान नं. 178 ग्राम जुरहरी पोस्ट जुरहेडा तहसील कामां जिला डीग राज0।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. जितेन्द्र पुत्र रामनाथ,
2. मधुर श्याम पुत्र रामनाथ,
3. उषा पुत्री रामनाथ,
4. प्रवीण पुत्री रामनाथ,
5. ब्रजलता पुत्री रामनाथ,
6. वैजयन्ती पुत्री रामनाथ, जातियान ब्राह्मण निवासीयान ग्राम माटूण्डा मंदिर के पास तहसील बूंदी जिला बूंदी।
7. चन्द्रशेखर पुत्र राम प्रकाश पौत्र बोधराज,
8. सतीश पुत्र राम प्रकाश पौत्र बोधराज,
   जातियान ब्राह्मण निवासीयान ग्राम पागसेडी तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर।
9. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 286 दिनांक 26.06.1992 न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़।

उपस्थितिः—
01.श्री पंकज गोपालिया —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री विशम्बर दयाल गुप्ता —वकील रेस्पोंडेंट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील नायब तहसीलदार गौविन्दगढ के निर्णय दिनांक 26.06.1992 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है जिसके संक्षेप में सुसंगत इस प्रकार है कि आराजी ख.न. 152 रकबा 46 ऐयर, 244 रकबा 14 ऐयर, 285 रकबा 24 ऐयर, 288 रकबा 05 ऐयर, 350 रकबा 04 ऐयर, 378 रकबा 34 ऐयरा, 390 रकबा 14 ऐयर, 397 रकबा 29 ऐयर, 399 रकबा 09 ऐयर, 472/251 रकबा 15 ऐयर, 476/160 रकबा 34 ऐयर, 478/161 रकबा 49 ऐयर, 480/170 रकबा 42 ऐयर, 498/337 रकबा 23 ऐयर व 500/347 रकबा 01 ऐयर वाके ग्राम पागसेडी तहसील गौविन्दगढ में स्थित है।

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

उक्त आराजी अपीलाण्ट व रेस्पो० के दादा पिता नाना बोधराज पुत्र हरनामदास के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। बोधराज के रामप्रकाश विद्यावती निर्माला व रामनाथ चार वारिस है जिनका प्रत्येक का 1/4, 1/4 भाग है। अपीलाण्ट विद्यावती के वारिसान है तथा विद्यावती का देहान्त हो चुका है जिनके अपीलाण्ट वारिस काबिज जायदाद है। लेकिन रामनाथ व रामप्रकाश ने गलत तरीके से खिलाफ कानून आराजी का इतकाल सख्या 286 दिनांक 26.06.1992 को अपने हक व दर्ज व स्वीकृत करवा लिया जिससे अपीलाण्ट आराजी से वंचित हो गये। जबकि अपीलाण्ट का भी उक्त आराजी में हक व अधिकार बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने विरासत इतंकाल दर्ज करते समय ना तो मौके की जॉच की गई और ना ही किसी दस्तावेजात पर गौर किया गया और ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया अपितु बाला–बाला में एकतरफा में ही इतंकाल दर्ज व स्वीकार कर दिया गया जो खिलाफ कानून है। इसलिए उक्त इतंकाल को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश कर उक्त इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी 08.02.2024 को होने का कथन करते हुये जानकारी की दिनांक से अपील को मियाद में शुमार किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो० की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री विशम्भरदयाल गुप्ता उपस्थित आये।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणों की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया कि विवादित आराजी अपीलण्ट की पैत्रक आराजी है जिसमें अपीलाण्ट के दादा बोधराज का विरासत इतंकाल दर्ज करते समय अपीलाण्ट की माताजी विद्यावती का नाम छोड दिया गया, जबकि रामप्रकाश व रामनाथ के साथ विद्यावती का नाम भी विरासत में आना चाहिए था। नायब तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा विरासत इतंकाल स्वीकार करते समय वारिसान की कोई जाँच नहीं की और ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। उक्त विवादित इतंकाल की सर्वप्रथम जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 08.02.2024 को पटवारी हल्का के पास राजस्व अभिलेख की ऋण पत्रावली तैयार कराने जाने पर हुई इसलिए अपील को मियाद में शुमार करते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर उक्त विवादित इतंकाल को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पो० का तर्क है कि उक्त अपील अपीलाण्ट द्वारा अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है जो मियाद बाहर है। विवादित इतंकाल बोधराज की विरासत का बहक मु० रामप्यारी बेवा बोधराज व रामप्रकाश, रामनार्थ पि. बोधराज कोम ब्राहम्मण सा. देह गैर खातेदार स्वीकार हुआ है जो नियमानुसार है। इसके उपरान्त इतंकाल सख्या 297 दिनांक 23.04.1994 से खातेदार प्राप्त हो चुकी है। अब वर्तमान में आराजी का बटवारा भी हो गया। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गौविन्दगढ के यहां अन्य दावे भी चल रहे है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में 2019 डीएनजे एस.सी. पेज 131 एवं आर.आर.डी. 2009 पेज 303 के न्यायिक दृ ष्टान्त पेश किये गये।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं तहत अदालत की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ दफा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 08.04.2024 को होना कथन किया है तथा अपने कथन के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र भी पेश किया हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह ज्ञात होता हो कि अपीलाण्ट को चुनौतीपूर्ण आदेश की ज़ानकारी दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अल[illegible]ा०)

08.04.2024 से पूर्व से ही थी। यद्यपि यह अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है, परन्तु अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही थी ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

दफा 5 को पक्षकारों को पर्याप्त न्याय दिलाने के लिए उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। यह प्रावधान इस बात पर विचार करता है कि सबंधित व्यक्ति की स्थिति और देरी का कारण एवं मामले की विशिष्ट परिसिथतियों पर विचार करना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलो में विचारण के दौरान् पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार एक दूसरे के विरूद्ध देखे जाते है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त न्याय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष इसका दावा नहीं कर सकता। इस मामले में ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर या किसी लापरवाही, दुर्भावना के कारण हुई है। विलम्ब करने से अपीलाण्ट को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि वह गम्भीर जोखिम उठाता है। परिसीमा अधिनियम 1966 की धारा 5 के अनुसार किसी भी अपील या आवेदन को परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी स्वीकार किया जा सकता है। यदि अपीलकर्ता/आवेदन अदालत को आश्वस्त करता है कि उसके पास परिसीमा अवधि के दौरान अपील/आवेदन दाखिल न कर पाले का पर्याप्त कारण है। इस मामले में अपीलार्थी द्वारा देरी का जो कारण अभिलिखित किया गया है वह संतोषजनक प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन आदेश का प्रश्न है। यह आदेश नायब तहसीलदार गौविन्दगढ द्वारा इतंकाल सख्या 286 बोधराज की विरासत इतंकाल पर पारित किया गया है, जिसमें पटवारी हल्का द्वारा बोधराज की विरासत बहक, मु० रामप्यारी बेवा बोधराज, रामप्रकाश रामनाथ पि. बोधराज तीनों के नाम दर्ज की है तथा नायब तहसीलदार गौविन्दगढ द्वारा यह इतंकाल राजस्व कैम्प मुख्यालय सैदमपुर में दिनांक 26.06.1992 को बहक रामप्रकाश व रामनाथ पि. बोधराज के नाम स्वीकार किया गया है तथा इसी अपीलाधीन आदेश में यह भी वर्णित किया गया है कि मु० रामप्यारी बेवा बोधराज द्वारा कैम्प में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश कर अपने हिस्से की आराजी अपने पुत्रों के नाम करना चाहती है जिसकी पुष्टि कैम्प में उपस्थित लोगों द्वारा भी कि गई। परन्तु अपीलाधीन आदेश में मृतक बोधराज की विधिक वारिसान की जाँच करने सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं है और ना ही उक्त इतंकाल में राजस्व अधिकारी द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मृतक बोधराज के विधिक वारिसान की जाँच करने सम्बन्धी कोई टिप्पणी अंकित की है और ना ही अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। मेरे विनम्र अभिमतानुसार विरासत के मामले में मृतक के विधिक वारिसान की समुचित जॉच उपरान्त ही नियमानुसार जायज वारिसान के नाम इतंकाल स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रश्नगत इतंकाल में राजस्व अधिकारी द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई गई हो साबित नहीं होता है। केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये गये नामों पर भी विचार किया गया और बोधराज की पत्नी के शपथ पत्र पर विचार किया गया। जबकि राजस्व अधिकारी (नायब तहसीलदार) को विरासत इतंकाल स्वीकार करने से पूर्व बोधराज के पुत्र व उसकी पत्नी से वारिसान के बारे में विस्तृत पूछताछ करनी चाहिए थी और राजस्व कैम्प में भी इस तथ्य की जानकारी की जा सकती थी। परन्तु अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि नायब तहसीलदार द्वारा विरासत इतंकाल स्वीकार करते समय विधिक वारिसान की कोई सम्यक जाँच की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में मृतक बोधराज के विधिक वारिसान की जाँच की आवश्यकता है। यद्यपि इतंकाल की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसिंडिग है जिसमें किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नहीं होते है परन्तु जहां इतंकाल निर्णित करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अनदेखी कर पारित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

किया गया, आदेश कानून की नजर में प्रारम्भ से शून्य माना जाता है। जहां तक पक्षकारान् के मध्य अन्य प्रकरणो के विचाराधीन होने का प्रश्न है। यह बात सही है कि पक्षकारान् के मध्य इस सवंध में राजस्व न्यायालयों में विभिन्न कार्यवाहीयां लम्बित रही हैं तथा वर्तमान में भी अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट के तहत अपीलाण्ट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी गौविन्दगढ के न्यायालय में दायर किया हुआ है जो विचाराधीन है। इस सवंध में हमारा मत है कि प्रश्नगत प्रकरण में विरासत इतंकाल को चुनौती दी गई है जो एक पृथक कार्यवाही है। जवकि राजस्व वाद में अन्य अनुतोष की मांग की गई है। अर्थात हस्तगत अपील व अन्य राजस्व वाद में विवादित कानूनी बिन्दु भी पृथक–पृथक है तथा अनुतोष भी पृथक पृथक है। इसलिए रोस्पो० की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस मामले के तथ्यों से भिन्न होने के कारण प्रश्नगत मामले में रेस्पो० की कोई मदद नहीं करते हैं।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर हम यह पाते है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

आदेश

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार गोविन्दगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.1992 बाबत इतंकाल सख्या 286 वाके ग्राम पागसेडी निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार गोविन्दगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक बोधराज के विधिक वारिसान की समुचित जाँच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये नये सिरे से विधिसम्मत इतंकाल दर्ज कर निर्णित करें। निर्णय की प्रति तहत अदालत के रिकार्ड के साथ वापिस लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर